राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 742/2013/बीकानेर

अलीम पुत्र अली मौहम्मद,
मौहल्ला व्यापारियान, बीकानेर। ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स,
वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 387/आरवैट/बीकानेर/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.11.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 30 के तहत् प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा आरोपित कुल मांग राशि रूपये 12,070/– को यथावत् रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 2003–04 का कर निर्धारण दिनांक 30.01.2006 को किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः जांच में पाया गया महानन्द महादेव मन्दिर के विस्तार कार्य से संबंधित ''जी'' अनुसूची के अनुसार 70,000/– का मार्बल प्रयुक्त हुआ है, लेकिन खरीद सूची के अनुसार केवल 20,385/– की मार्बल की खरीद ही दर्शायी गयी है। इस प्रकार 50,000/– की मार्बल खरीद का कोई बिल नहीं होने से उक्त पर करारोपण होने से वंचित रह गया। इस बाबत् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने 50,000/– के मार्बल खरीद पर 12 प्रतिशत की दर से कर उस पर सरचार्ज एवं ब्याज कुल मांग राशि रूपये 12,070/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित

लगातार.....2

मांग राशि को यथावत् रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदार है एवं ठेके पर कार्य लेकर कार्य करता है, उनके द्वारा महानन्द महादेव मन्दिर विस्तार कार्य हेतु राशि रूपये 20,386/– के मार्बल की खरीद की गई थी, जिनके बिल अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण के वक्त कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्बल पर भाडा राशि रूपये 13,680/–, मार्बल कटिंग व पॉलिस खर्च रूपये 12,500/– व मार्बल लगाने की मजदूरी राशि रूपये 23,435/– को इसमें नहीं जोडकर मार्बल खरीद में जोडकर विधिक भूल की है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कुल राशि रूपये 70,385/– के मार्बल की खरीद की है, जिसमें से मात्र 20,385/– के मार्बल खरीद के ही बिल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष बिल प्रस्तुत किये गये है, इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से राशि रूपये 50,000/– के बिल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि का कर निर्धारण दिनांक 30.01.2006 को किया गया, परन्तु बाद में जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कार्य हेतु 70,000/– का मार्बल प्रयुक्त हुआ था, लेकिन खरीद सूची के अनुसार केवल 20,385/– की मार्बल की खरीद ही दर्शायी गयी थी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भाडा राशि, मार्बल कटिंग व पॉलिस खर्च एवंव मार्बल लगाने की मजदूरी राशि को मार्बल खरीद बताकर करारोपण कर दिया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग खाता में खरीद, लेबर तथा भाडा राशि को अलग–अलग मदों के रूप में दर्शाया गया है, उक्त प्रकरण में कोई नया बिन्दु नहीं आया है। अतः अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य